



क्रमांक :- आं.बा. स्था./2026/ 7/

दिनांक :-25.05.2026

विज्ञप्ति संख्या 01 / 2026

निदेशालय संमेलित बाल विकास सेवाएं जयपुर के आदेश क्रमांक प.11(3)10/मो. /आईसीडीएस/2022/4244 दिनांक 12.01.2023 /57871-58286 जयपुर दिनांक 01.03.2024 /रैफरेंस नम्बर 10872467 दिनांक 01.10.2024 की पालना में जिले निम्नलिखित बाल विकास परियोजना के अधीन ग्राम पंचायत/नगरपालिका में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के स्वेच्छिक मानदेय सेवा के रिक्त पदों हेतु सम्बन्धित परियोजना कार्यालय में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र. स.	परियोजना का नाम	रिक्त पदों की संख्या		आवेदन जमा करवाने का स्थान:- बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय
		कार्यकर्ता	सहायिका	
1.	सादुलशहर	0	1	सादुलशहर
2.	श्रीकरणपुर	3	4	श्रीकरणपुर
3.	श्रीगंगानगर ग्रा	10	19	श्रीगंगानगर ग्रा.
4.	पदमपुर	4	12	पदमपुर
5.	श्रीगंगानगर शहर	5	10	श्रीगंगानगर शहर
6.	सूरतगढ	1	7	सूरतगढ
7.	घड़साना	2	4	घड़साना
8.	अनूपगढ़	5	6	अनूपगढ़
9.	रायसिहनगर	2	3	रायसिहनगर
	कुल	32	66	
कार्यकर्ता मानदेय -10561 रुपये /सहायिका -6291 रुपये				

नोट: ग्रामीण क्षेत्र से इच्छुक महिला अभ्यर्थी ग्राम पंचायत/ग्राम/आंगनबाड़ी केन्द्रवार एवं शहरी क्षेत्र में इच्छुक अभ्यर्थी वार्डवाइज आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों की जानकारी एवं शर्तों को संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में अथवा विभागीय वेबसाइट www.wcd.rajasthan.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।

शर्त:-

- ग्रामीण क्षेत्र में महिला जिस आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए चयन हो रहा है उसके राजस्व ग्राम को तथा शहरी क्षेत्र में सम्बन्धित आंगनबाड़ी केन्द्र के परिक्षेत्र के वार्ड को स्थानीय निवासी होनी चाहिए। विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला को ससुराल व मायके दोनों स्थान के लिए यथानुसार स्थानीय निवासी माना जा सकेगा।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के पद पर चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बारहवीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
- विवाहित और अविवाहित महिला दोनों ही आवेदन के पात्र होगी।
- विवाह अथवा अन्य किसी कारण से यदि महिला स्थानीय निवासी नहीं रहती है तो स्वतःही मानदेय सेवा समाप्त मानी जावेगी। इस आशय का अण्डर टैकिंग(शपथ पत्र) चयन के आवेदन करते समय ही देना होगा। विभाग द्वारा भविष्य में स्थानीय निवासी नहीं रहने पर जाँच उपरान्त मानदेय सेवा से हटा दिया जायेगा।
- विज्ञप्ति जारी होने की तिथि तक आवेदक की आयु 18-35 वर्ष होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, जनजाति, विधवा, तलाकशुदा एवं विशेष योग्यजन (गति आधारित प्रमस्तिष्क घात, रोगमुक्त कुए, बौनापन, तेजाब आक्रमण के पीड़ित, पेशीय दुष्पोषण) के प्रकरण में अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी। आंगनबाड़ी मानदेय सेवा का कार्मिक सेवा करते हुए यदि पुनः किसी मानदेय सेवा के लिए आवेदन करता है तो उन पर आयु सीमा की बाध्यता लागू नहीं होगी।
- आवेदनकर्ता महिला के घर में शौचालय होने एवं उसका नियमित उपयोग किये जाने सम्बन्धी घोषणा आवेदन पत्र में किया जाना आवश्यक है।
- विधवा हेतु प्रमाण-पत्र के रूप में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र तथा आवेदन में पुनर्विवाह नहीं करने की घोषणा का अंकन अवश्य होना।


(**महेंद्र पाल**) RAS
उपनिदेशक

D/mahender pal/my data/word file/

महिला एवं बाल विकास विभाग
श्रीगंगानगर

415



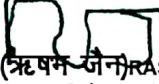
राजस्थान सरकार
कार्यालय उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रीगंगानगर

EMAIL ID-ddganganagar.wcd@rajasthan.gov.in

ph-0154-2445021



8. तलाकशुदा की स्थिति में सक्षम न्यायालय से जारी डिक्री/आदेश की प्रति तथा आवेदन में पुनर्विवाह नहीं करने की घोषणा का अंकन आवश्यक होगा।
9. विभिन्न पदों के लिए चयन हेतु विभागीय परिपत्र क्रमांक 4244 दिनांक 12.01.2023 एवं रेफरेन्स नम्बर 10872467 दिनांक 01.10.2024 के अनुसार मूल्यांकन का एक मानदण्ड निर्धारित है जिसे सम्बन्धित परियोजना कार्यालय अथवा विभागीय वेबसाइट पर देखा जा सकता है। संलग्न दस्तावेजों के आधार पर विभागीय परिपत्र अनुसार अंक निर्धारित कर बरीयता सूची से चयन किया जावेगा।
10. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 45955 दिनांक 08.08.2019 के अनुसार पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमीलेयर के प्रमाण पत्र संबंधी तथ्य को 3 वर्ष के लिए विधि सम्मत शपथ-पत्र के आधार पर मान्यता दी जायेगी। विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से 3 वर्ष से अधिक पुराना प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
11. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 28046 दिनांक 06.05.2022 के अनुसार आर्थिक कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र संबंधी तथ्य को 3 वर्ष के लिए विधि सम्मत शपथ-पत्र के आधार पर मान्यता दी जायेगी। विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से 3 वर्ष से अधिक पुराना प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
12. राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का माना जायेगा।
13. आवेदन पत्र के साथ (1) अधिकतम शैक्षणिक योग्यता सम्बंधी अंकतालिका प्रमाण पत्र (2) सेकण्डरी की अंकतालिका प्रमाण पत्र (3) बीएड/एनटीटी/डीपीएसई/बीएसटीसी/डीएलएड डिप्लोमा (यदि लागू हो तो) (4) मतदाता पहचान पत्र/राशनकार्ड/आधार/जनआधार कार्ड/मूल निवास प्रमाण पत्र (5) अनुसूचित जाति/जन जाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग/अल्प संख्यक वर्ग/दिव्यांग जन होने का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) (6) आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/शिशु पालनागृह कार्यकर्ता/सहायिका/आशा सहयोगिनी साथिन के रूप में 01 वर्ष का कार्यानुभव प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) (7) एएनएम जीएनएम/आयुर्वेद नर्सिंग के प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) (8) आरएससीआईटी/पीजीडीसीए के प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) (9) विधवा/तलाकशुदा प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) आदि दस्तावेजों को स्वप्रमाणित प्रति अनिवार्यतः संलग्न किये जावे।
14. जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों के कवरेज क्षेत्रों में जनसंख्या का 50 प्रतिशत या अधिक अनुसूचित जाति/जन जाति/अल्प संख्यक वर्ग का है तो उन केन्द्रों के चयन हेतु उसी वर्ग की महिला का चयन अनिवार्यतः किया जायेगा। कवरेज क्षेत्र में जनसंख्या की गणना मुख्यतया आंगनबाड़ी सर्वे रजिस्टर के आधार पर ही की जायेगी।
15. योग्य अभ्यर्थी अपना पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र मय दस्तावेज दो प्रतियों में सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में व्यक्तिशः दिनांक **प्रातः 10.30 बजे 01.06.2026 से 30.06.2026 को सांय 05.00 बजे** तक जमा करवा सकेंगे।
16. आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन जमा करवाये जाने के पश्चात किसी भी प्रकार की कमी पूर्ति हेतु संलग्न किये जाने से वचित दस्तावेज को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर विज्ञप्ति में वर्णित आवेदन जमा करवाये जाने के अन्तिम तिथि तक आवेदन पत्र में सम्मिलित करवाया जा सकेगा, परन्तु अन्तिम तिथि के पश्चात किसी भी प्रकार के दस्तावेज को शामिल नहीं किया जायेगा।
17. इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी उपनिदेशक कार्यालय/सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय तथा कार्यकर्ता/सहायिका चयन संबंधी विभागीय परिपत्र क्रमांक 4244 दिनांक 12.01.2023 एवं विभागीय पत्र क्रमांक 57871-58286 दिनांक 01.03.2024 से प्राप्त की जा सकती है।
18. मानदेय कार्मिकों की विज्ञप्ति परिपत्र आदेश क्रमांक प.11(3)10/मो./आईसीडीएस/2022/4244 जयपुर दिनांक 12.01.2023 के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका की सेवानिवृत्ति आयु 61 वर्ष है।
19. आवेदनकर्ता की आयु की गणना माध्यमिक बोर्ड की अंकतालिका/प्रमाण पत्र के आधार पर की जावेगी।
20. सभी आवेदक आवेदन पत्र (समस्त संलग्न दस्तावेजों के पृष्ठ संख्या अंकित करवाकर) की प्राप्ति रसीद अवश्य प्राप्त करें।


(अ.प.प.जी.न.)RAS

उपनिदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग
श्रीगंगानगर